उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है। :–

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–6 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाहन करता है एवं धारा 7(2) के अनुसार :–

अ. अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करती है।

ब. लोक अदालतों का संचालन करती है।

स. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है।

द. केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत कृत्यों का पालन करती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य सचिव जो उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज चयन वेतनमान स्तर का अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसके द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होते हैं, उनके सामान्य

नियत्रंण में किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती है। संस्था के सुचारू संचालन के लिए संस्था में शासन द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3. <u>कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेशों, निर्देशिका और अभिलेख</u> :–

प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन एवं कार्य संपादन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 एवं केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्राप्त अनुदेशों, निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली–2006 के नियम–4 के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

5. <u>उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण</u> :–

राज्य प्राधिकरण नियम, विनियम तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संग्रह अभिलेख रखती है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में विधिक योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अनुदान राशि का आय व्यय विवरण पत्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है।

6. <u>बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण</u> :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा–9 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा–11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य प्राधिकरण के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों व सुलह समझौता केन्दों का गठन भी सभी जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है।

7. <u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम</u> :–

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य सचिव, श्री प्रशान्त जोशी, विभागीय अपीलीय अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942–236762) एवं **<u>प्रशासनिक अधिकारी</u>**, श्री रमाकान्त चौधरी, लोक सूचना अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942–236552) पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला जज/अध्यक्ष, अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

8. <u>निर्णय लेने की प्रक्रिया</u> :–

राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

9. <u>अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्टरी:–</u>

मा0 मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड/मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड /मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।	
सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236762 (O) 05942–236552 (Telefax)

विशेष कार्याधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236514 (O) 05942–236552 (Telefax)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गणमान्य सदस्य	
क्र0सं0	पदनाम
1	मा0 मुख्य न्यायमूर्ति / मुख्य संरक्षक
2	मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति / कार्यपालक अध्यक्ष
3	मा0 अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल
4	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार
5	महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
7	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
8	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून
10	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल)
11	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून
12	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून
13	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड सरकार
14	सचिव / निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
15	जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
16	सुश्री कुमकुम रानी, जिला न्यायाधीश
17	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी (दिनांक 07 मई, 2018 तक)		
क0सं0	नाम	पदनाम
1	श्री प्रशान्त जोशी	सदस्य–सचिव
2	मौ0 यूसुफ	विशेष कार्याधिकारी
3	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी
4	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव
5	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक
6	सुश्री राधा कन्नौजिया	प्रधान सहायक
7	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक
8	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक
9	श्री विनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक
10	श्री ललित बिष्ट	कनिष्ठ सहायक
11	श्री त्रियुगी नारायण	कनिष्ठ सहायक
12	श्री रवीश कुमार	कनिष्ठ सहायक
13	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक
14	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक
15	श्री हेमंत कुमार	वाहन चालक
16	श्री जगत सिंह	दफ्तरी
17	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक
18	श्री बचन सिंह	अनुसेवक
19	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक
20	श्री रोहन कोरंगा (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर
21	श्री दीपक कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री आपरेटर
22	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	वाहन चालक
23	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
24	श्री ललित (अंशकालीन)	स्वीपर सह फर्राष (प्रति माह नियत मानदेय पर)

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है।

(दिनांक 07 मई, 2018 तक)

क0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन
1.	श्री प्रशान्त जोशी	सदस्य सचिव	57700-70290	1,69,532
2.	मौ0 यूसुफ	विशेष कार्य अधिकारी	39530-54010	1,10,198
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100	67,920
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव	44900-142400	53,890
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक	35400-112400	52,500
6.	सुश्री राधा कन्नौजिया	प्रधान सहायक	44900-142400	58,510
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक	35400-112400	44,835
8.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक	35400-112400	44,205
9.	श्री विनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक	29200-92300	33,040
10.	श्री ललित बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	29200-92300	32,830
11.	श्री त्रियुगी नारायण	कनिष्ठ सहायक	29200-92300	34,930
12.	श्री रवीश कुमार	कनिष्ठ सहायक	29200-92300	34,930
13.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक	29200-92300	35,210
14.	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक	25500-81100	35,535
15.	श्री हेमंत कुमार	वाहन चालक	21700-69100	29,930
16.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी / मशीन आपरेटर	25500-81100	32,265
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक	19900-63200	31,715
18.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक	19900-63200	31,525
19.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक	19900-63200	30,865
20.	श्री रोहन कोरंगा (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	-	15,394
21.	श्री दीपक कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री आपरेटर	-	13,956
22.	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	वाहन चालक	-	13,956
23.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	-	11,176
24.	श्री ललित (अंशकालीन)	स्वीपर सह फर्राश	2,000 प्रति माह (मानदेय)	2,000

11. बजट का प्रावधान :–

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धनराशि दो स्रोतों, राष्ट्रीय विधिक सहायक निधि जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एवं राज्य विधिक सहायक निधि जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होती है तत्पश्चात उक्त धनराशि का उपयोजन विधिक सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्रदान करने, लोक अदालतों का संचालन

करने, विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि में किया जाता है एवं उक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जाता है।

12. अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की तिथि :–

विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है।

13. **छूट, आज्ञप्ति तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है।**

14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अंतर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अंतर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है।

15. इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना :–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से संबंधित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं।

16. जनउपयोग एवं सूचना प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

17. अन्य उपयोगी जानकारी जो विहित की जावे :–

राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जनसामान्य जानकारी प्राधिकरण की वैबसाइट www.slsa.uk.gov.in, ई–मेलः slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com तथा कार्यालय के टॉल फ्री नंः 1800 180 4000 से प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक : 07 मई, 2018

ह0/-

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल

Statement showing total sanctioned budget by the State Government for the financial year 2018-2019, for District Legal Services Authorities/High Court Legal Services Committee 2014-Adminstration of Justice-00-Nonplan-800-Other Expenses-06-DLSAs/HCLSC

S.N.	No. & Name of the Head	Total budget sanctioned by the State Govt.
1	**01-Pay**	₹ 1,63,12,000
2	**02-Wages**	₹ 2,00,000
3	**03-D.A.**	₹ 1,70,25,000
4	**04-T.A.**	₹ 6,00,000
5	**05-T.T.A.**	₹ 5,00,000
6	**06-O.A.**	₹ 33,04,000
7	**07-Honorarium**	₹ 2,50,000
8	**08-Office Expenses**	₹ 3,00,000
9	**09-Electricity Charges**	₹ 2,00,000
10	**10-Water Tax**	₹ 60,000
11	**11-Purchase of stationary & printing of forms**	₹ 1,00,000
12	**12-Office Furniture & Equipment**	₹ 1,00,000
13	**13-Telephone Charges**	₹ 5,00,000
14	**15-Maintenance of staff car & purchase of fuel**	₹ 10,00,000
15	**16-Payment for professional & Special Services**	₹ 70,00,000
16	**17-Rent & Taxex**	₹ 1,00,000
17	**18-Publication**	₹ 20,000
18	**19-Advertisement, Sell & Promulgation**	₹ 10,000
19	**22-Sumptuary Allowance**	₹ 50,000
20	**27-Medical Reimbursement**	₹ 3,00,000
21	**29-Maintenance**	₹ 1,00,000
22	**42-Other Expenses**	₹ 4,00,000
23	**44-Training Expenses**	₹ 50,000
24	**45-L.T.C.**	₹ 70,000
25	**46-Purchase of Computer Hardware /Software**	₹ 1,00,000
26	**47-Maintemamce of Comp. & Purchase of stationary**	₹ 1,00,000
	Total	₹ **4,87,51,000**

Statement showing total sanctioned budget by the Government for the financial year 2018-2019, for Uttarakhand State Legal Services Authority (UKSLSA)
2014-Adminstration of Justice-00-Nonplan-800-Other Expenses-05-UKSLSA

S.N.	No. & Name of Head	Total Budget sanctioned by State Govt.
1	**01-Pay**	₹ 95,82,000
2	**02-Wages**	₹ 1,20,000
3	**03-D.A.**	₹ 48,35,000
4	**04-T.A.**	₹ 5,50,000
5	**05-T.T.A.**	₹ 3,00,000
6	**06-Other Allowances**	₹ 11,74,000
7	**07-Honorarium**	₹ 40,000
8	**08-Office Expenses**	₹ 4,00,000
9	**09-Electricity Charges**	₹ 6,00,000
10	**10-Water Tax**	₹ 1,00,000
11	**11 -Purchase of stationary & printing of forms**	₹ 1,50,000
12	**12 -Office Furniture & Equipment**	₹ 1,00,000
13	**13 -Telephone Charges**	₹ 4,00,000
14	**15-Maintenance of staff car & purchase of fuel**	₹ 7,50,000
15	**16-Payment for professional & Special Services**	₹ 9,00,000
16	**17- Rent & Taxes**	₹ 2,00,000
17	**18-Publication**	₹ 40,000
18	**19-Advertisement, Sell & Promulgation**	₹ 50,000
19	**22-Sumptuary Allowance**	₹ 50,000
20	**25-Minor Construction Works**	₹ 50,000
21	**27-Medical Reimbursement**	₹ 3,00,000
22	**29-Maintenance**	₹ 50,000
23	**42-Other Expenses**	₹ 60,000
24	**44-Training Expenses**	₹ 60,000
25	**45-L.T.C.**	₹ 70,000
26	**46-Purchase of Computer Hardware/Software**	₹ 1,00,000
27	**47-Maint. of Comp. & Purchase of stationary**	₹ 1,00,000
	Total	₹ **2,11,31,000**
FUND PROVIDED UNDER STATE CONTINGENCY FUND HEAD-8000-00-201-00-00		
1	**14-Purchase of Staff Car**	₹ 15,00,000

Statement showing total sanctioned budget by the State Government in the Financial Year 2018-2019 for PERMANENT LOK ADALAT (P.L.A.)
2014-Administration of Justice-00-Nonplan-800-Other Expenses-10-P.L.A.

S.N.	No. & Name of Head	Total budget sanctioned by the State Govt.
1	**01 - Pay**	₹ 20,00,000
2	**02 - Wages**	₹ 1,00,000
3	**03 - D.A.**	₹ 15,21,000
4	**04 - T.A.**	₹ 1,00,000
5	**05 - T.T.A.**	₹ 1,00,000
6	**06 – Other Allowances**	₹ 3,86,000
7	**07 - Honorarium**	₹ 10,000
8	**08 - Office Expenses**	₹ 70,000

9	**09 - Electricity Charges**	₹ 50,000
10	**10 - Water Tax**	₹ 30,000
11	**11 - Purchase of stationary & printing of forms**	₹ 50,000
12	**12 - Office Furniture & Equipment**	₹ 2,00,000
13	**13 - Telephone Charges**	₹ 1,00,000
14	**15 - Maintenance of staff car & purchase of fuel**	₹ 2,00,000
15	**16 - Payment for professional & Special Services**	₹ 5,00,000
16	**17 - Rent & Taxes**	₹ 1,50,000
17	**18 - Publication**	₹ 50,000
18	**19 - Advertisement, Sell & Promulgation**	₹ 50,000
19	**22 - Sumptuary Allowance**	₹ 10,000
20	**25 – Minor Construction Works**	₹ 50,000
21	**27 - Medical Reimbursement**	₹ 2,00,000
22	**29 – Maintenance**	₹ 50,000
23	**42 - Other Expenses**	₹ 70,000
24	**44 – Training Expenses**	₹ 1,50,000
25	**45 - L.T.C.**	₹ 50,000
26	**46 - Purchase of Computer Hardware/Software**	₹ 70,000
27	**47 - Maintenance of Comp. & Purchase of stationary**	₹ 1,00,000
	Total	**₹64,17,000**

Statement showing Budget Allocated by National Legal Services Authority, New Delhi to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for Financial Year 2018-19 Under Different Heads.

S.N.	**Head Name**	**Total funds Carry Forwarded/Allocated by NALSA**
1	**Miscellaneous/General Head**	₹ 43,533
2	**MNREGS**	₹ 3,79,648
3	**Micro Legal Literacy Scheme**	₹ 6,68,719
4	**PLV s Training & Meets**	₹ 23,314
5	**Lawyers Training**	₹ 31,520
6	**Project of the Year 2013-14**	₹ 4,13,679
7	**Legal Services Clinics in College**	₹ 1,88,100
8	**ADR Methods: Mediation activities including payment of honorarium to mediators.**	₹ 1,04,278
9	**Visibility on Electronic & Print Media**	₹ 2,24,404
10	**For implementation of activities such as payment of honorarium to PLVs and Panel Lawyers as well as Training Programmes for Panel Lawyers & PLVs as per NALSA Scheme.**	₹ 18,247
11	**For Various Schemes & Programmes**	₹ 2,14,940
12	**Multi Utility Van**	₹ 2,367
13	**Panel Lawyers Training**	₹ 1,94,799
14	**Payment to Panel Lawyers**	₹ 1,24,363
15	**Electronic & Print Media**	₹ 5,95,294
16	**Honorarium to Mediators, Lok Adalat Presiding Officer and Members and Lok Adalat**	₹ 26,338

17	**Payment of PLVs**	₹ 1,49,464
18	**Purpose of implementation of all the Schemes and Regulations under various provisions of the said Act-1987. (The Utilization of funds by the State Authority under different Schemes /Programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA)**	₹ 65,90,240.50
	Total:	₹ **99,93,247**

Sd/-
Member Secretary,
Uttarakhand State Legal Services Authority,
High Court Campus,
Nainital

Place: NAINITAL
Date: 07 May, 2018

SURRENDER OF BUDGET RELATING TO STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES, PERMANENT LOK ADALAT, NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD Name - Member Secretary State Legal Service Authority (4006)

आवंटन पत्र संख्या - SLSA

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - SH180300649

Secretary, Law

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2018

1: लेखा शीर्षक 2014 - न्याय प्रशासन

800 - अन्य व्यय

00 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

00 -

05 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
01 - वेतन	6000000	0	6000000
02 - मजदूरी	110000	-84429	25571
03 - महंगाई भत्ता	7000000	-1985715	5014285
04 - यातरा वयय	430000	-280026	149974
05 - सथानानतरण यातरा वयय	300000	-300000	0
06 - अनय भतते	2000000	-1347020	652980
07 - मानदेय	40000	-40000	0
08 - कारयालय वयय	350000	-17886	332114
09 - वदियत देय	335000	-139778	195222
10 - जलकर / जल परभार	45000	-39864	5136
11 - लेखन सामगरी और फारमों क	100000	-39976	60024
12 - कारयालय फरनीचर एवं उपक	80000	0	80000
13 - टेलीफोन पर वयय	350000	-228529	121471
15 - गाडियों का अनरकषण और प	700000	-59151	640849
16 - वयावसायिक तथा वशिष सेव	700000	-315046	384954
17 - करिाया, उपशलक और कर-स	50000	-49796	204
18 - परकाशन	40000	-40000	0
19 - वजिञापन, बकिरी और वखिय	50000	-20781	29219
22 - आतथिय वयय वषियक भतत	50000	-2867	47133
25 - लघ नरिमाण कारय	50000	-50000	0
27 - चकितिसा वयय परतपिरति	100000	-48309	51691
29 - अनरकषण	50000	-50000	0
42 - अनय वयय	60000	-8149	51851
44 - परशकिषण वयय	30000	-30000	0
45 - अवकाश यातरा वयय	70000	-70000	0
46 - कमपयूटर हारडवेयर/साफटवेय	80000	-1590	78410
47 - कमपयूटर अनरकषण/ततसमब	50000	-2791	47209
	19220000	**-5251703**	**13968297**

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes - -5251703

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD Name - Member Secretary State Legal Service Authority (4006)

आवंटन पत्र संख्या - **DLSA**

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - **SH180300655**

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2018

Secretary, Law

1: **लेखा शीर्षक** 2014 - न्याय प्रशासन 00 -

800 - अन्य व्यय

00 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (0-5 से स्थानान्तरित 06 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
01 - वेतन	17500000	-2067887	15432113
02 - मजदूरी	50000	-33150	16850
03 - महंगाई भत्ता	11000000	-2876050	8123950
04 - यात्रा व्यय	200000	-71549	128451
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400000	-305060	94940
06 - अन्य भत्ते	4000000	-2185648	1814352
07 - मानदेय	190000	-118233	71767
08 - कार्यालय व्यय	250000	-11237	238763
09 - विद्युत देय	200000	-132250	67750
10 - जलकर / जल प्रभार	50000	-46784	3216
11 - लेखन सामग्री और फार्मों क	100000	-13093	86907
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	70000	-100	69900
13 - टेलीफोन पर व्यय	470000	-47975	422025
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और प	1000000	-442716	557284
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेव	7000000	-610811	6389189
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	25000	-25000	0
18 - प्रकाशन	20000	-20000	0
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्य	10000	-9300	700
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्त	40000	-32349	7651
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	-120113	179887
29 - अनुरक्षण	25000	-25000	0
42 - अन्य व्यय	200000	-113478	86522
44 - प्रशिक्षण व्यय	20000	-20000	0
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	-5124	44876
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	50000	-26500	23500
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	50000	-8804	41196
	43270000	**-9368211**	**33901789**

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes - -9368211

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD Name - Member Secretary State Legal Service Authority (4006)

आवंटन पत्र संख्या - PLA

अलोटमेंट आई डी - SH180300639

अनुदान संख्या - 004

आवंटन पत्र दिनांक -31-Mar-2018

Secretary, Law

1: लेखा शीर्षक 2014 - न्याय प्रशासन

00 -

800 - अन्य व्यय

10 - लोक अदालत

00 - लोक अदालत

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
01 - वेतन	4500000	-3441690	1058310
02 - मजदूरी	50000	-38000	12000
03 - महंगाई भतता	6400000	-4967069	1432931
04 - यातरा वयय	60000	-38681	21319
05 - सथानानतरण यातरा वयय	40000	-40000	0
06 - अनय भतते	600000	-356095	243905
07 - मानदेय	10000	-10000	0
08 - कारयालय वयय	100000	-16650	83350
09 - वदियत देय	20000	-12181	7819
10 - जलकर / जल परभार	10000	-9319	681
11 - लेखन सामगरी और फारमों क	90000	-42817	47183
12 - कारयालय फरनीचर एवं उपक	100000	-648	99352
13 - टेलीफोन पर वयय	69000	-38878	30122
15 - गाडियों का अनरकषण और प	120000	-68636	51364
16 - वयावसायकि तथा वशिष सेव	1200000	-454027	745973
17 - करिाया, उपशलक और कर-स	1000	-1000	0
18 - परकाशन	20000	-15222	4778
19 - वजिञापन, बकिरी और वखिय	20000	-15044	4956
22 - आतथिय वयय वषियक भतत	10000	-7500	2500
27 - चकितिसा वयय परतपिरतति	60000	-27245	32755
29 - अनरकषण	1000	-1000	0
42 - अनय वयय	70000	-52600	17400
45 - अवकाश यातरा वयय	40000	-40000	0
46 - कमपयटर हारडवेयर/साफटवेय	100000	-933	99067
47 - कमपयटर अनरकषण/ततसमव	50000	-38750	11250
	13741000	**-9733985**	**4007015**

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes - -9733985

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

Financial Year 2017-2018

Head wise details of Budget allocated by NALSA,New Delhi to UKSLSA,Nainital for different schemes/plans/programmes

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA	Expenditure of Budget of DLSAs & HCLSC till 31.03.2018	Expenditure of Budget of SLSA till 31.03.2018	Total Expenditure off DLSAs,HCLSC & slsa till 31.03.2018	Total Balance of Budget with SLSA, DLSAs & HCLSC, as on 31.03.2018 in Account of NALSA Fund
1	2	3	4	5	6	7
01	Miscellaneous/General Head	1,83,087.00	1,34,090.00	5,464.00	1,39,554.00	43,533.00
02	MNREGS	4,28,672.00	49,024.00	—	49,024.00	3,79,648.00
03	Micro Legal Literacy Scheme	8,62,184.00	1,82,540.00	10,925.00	1,93,465.00	6,68,719.00
04	PLV s Training & Meets	89,189.00	65,875.00	—	65,875.00	23,314.00
05	Lawyers Training	19,90,770.00	17,82,250.00	1,77,000.00	19,59,250.00	31,520.00
06	Project of the Year	16,63,295.00	11,90,307.00	59,309.00	12,49,616.00	4,13,679.00
07	Legal Services Clinics in College	1,88,100.00	—	—	—	1,88,100.00
08	ADR Methods: Mediation activities including payment of honorarium to mediators. The purchase of furniture, computer etc.	1,73,569.00	69,291.00	—	69,291.00	1,04,278.00
09	Visibilty on Electronic & Print Media	6,70,024.00	2,34,278.00	2,11,342.00	4,45,620.00	2,24,404.00
10	For implementation of activities such as payment of honorarium to PLVs and Panel Lawyers as well as Training Programmes for Panel Lawyers & PLVs as per NALSA Scheme.	6,41,234.00	6,22,987.00	—	6,22,987.00	18,247.00
11	Purpose of implementation of various Legal Aid Schemes/Programmes, Implementaioon of National Plan of Action and other ongoing schemes of NALSA.	8,94,933.00	6,79,993.00	—	6,79,993.00	2,14,940.00
12	Multi-utility van	2,367.00	—	—	—	2,367.00
13	Panel Lawyers Training	5,22,275.00	1,41,456.00	1,86,020.00	3,27,476.00	1,94,799.00
14	Payment to Panel Lawyers	4,80,800.00	3,56,437.00	—	3,56,437.00	1,24,363.00
15	Electronic and print media	10,00,000.00	3,55,657.00	49,049.00	4,04,706.00	5,95,294.00
16	Honorarium to mediators, Lok Adalat presiding officers and Members and other empenses connected with conducting Lok Adalats.	1,96,343.00	1,17,448.00	52,557.00	1,70,005.00	26,338.00
17	Payment of PLVs	2,95,110.00	1,45,646.00	—	1,45,646.00	1,49,464.00
18	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA)	1,58,43,968.00	1,30,45,826.00	7,91,492.50	1,38,37,318.50	20,06,649.50
19	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA)	New Allocation: 1,00,00,000.00	50,98,533.00	3,17,876.00	54,16,409.00	45,83,591.00
	Total:	3,61,25,920.00	2,42,71,638.00	18,61,034.50	2,61,32,672.50	99,93,247.50